न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 429/2019
GCMS NO. : 2019/00205

–: वादीया :– **बनाम** **–: प्रतिवादीगण :–**

1. भीकली पत्नी विरदाराम
जाति–जाट निवासी– बैड़कलां
तहसील जैतारण जिला पाली।

1. रामाकिशन पुत्र विरदाराम
जाति–जाट, निवासी–बैड़कलां
तहसील जैतारण जिला पाली।
2. तहसीलदार जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.05/11/2019

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री गोविन्द जाखड़, अधिवक्ता, प्रतिवादी एवं तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 08/09/2022**

वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादीया की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी की भूमि राजस्व मौजा बैड़कलां पटवार हल्का बैड़कलां तहसील जैतारण जिला–पाली में स्थित खसरा नम्बर 44 रकबा 27 बीघा 02 बिस्वा वादीया का 1/96 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का भी 1/96 वां हिस्सा आता है तथा खसरा नम्बर 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55 का कुल रकबा 199 बीघा 10 बिस्वा में वादीया का 1/96 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का भी 1/96 वा हिस्सा आता है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 421/15, 421/6, 548, 550 कुल रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा में वादीया 1/8 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/8 वां हिस्सा आता है। जिस पर वादीया काबिज खातेदार काश्तकार है। इस भूमि की चालू जमाबन्दी इस वादपत्र के साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित खसरान नम्बरान की भूमि वादीया की पुश्तैनी कब्जा सुदा हक सुदा है पूर्व में उक्त भूमि वादीया के पति विरदाराम पुत्र भोलाराम जी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की थी। विरदाराम जी का देहान्त होने पर जरिये नामान्तरणकरण संख्या 968 के उक्त भूमि वादीया के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। उस दौरान तत्कालीन हल्का पटवारी ने वादीया का सही नाम भीकली की बजाय राजस्व रेकर्ड में भीचली दर्ज कर दिया। तत्पश्चात् इसी माफिक चौसाला ज[illegible] में अंकन कर दिया। नकल नामान्तरणकरण संख्या 968 [illegible] के साथ पेश है। विवादित भूमि वादीया भीकली पत्नि [illegible] कब्जे [illegible] की है परन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:31:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

इस भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम भीचली पत्नि विरदाराम दर्ज है। लेकिन वादीया के पहचान से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, चुनाव परिचय पत्र सभी में वादीया का नाम भीकली पत्नि विरदाराम दर्ज है। जबकि विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में भीचली पत्नि विरदाराम के नाम का अंकन होने से वादीया को भारी परेशानिया उठानी पड़ रही है। वादीया बैंक से अपना साख पत्र नहीं बनवा पा रही है न ही अन्य आवश्यक मिलने वाली सुविधाये ले पा रही है। वादीया ने इस प्रकार की गलत प्रविष्टि को दुरुस्त करने हेतु प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण व उनके अधिनस्थ हल्का पटवारी को निवेदन किया लेकिन उन्होने दिनांक 11.10.2019 को इस प्रकार की दुरुस्ती करने से इन्कार करते हुये न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी है। इस प्रकार से वादीया की इस विवादित खसरान नम्बरान की भूमि में वादीया के सही नाम भीकली पत्नि विरदाराम जी के नाम का अंकन पूर्व में दर्ज गलत नाम भीचली पत्नि विरदाराम जी के स्थान पर वादीया दर्ज करवाने तथा ऐसी घोषणा करवाने एवं रेकर्ड दुरुस्ती करवाने का वादीया अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती का बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादी के सादर प्रस्तुत है। प्रतिवादी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है इसलिए धारा 80 (2) का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है। बिनाय वाद दिनाक 11.102019 को प्रतिवादी द्वारा वादीया के नाम से दुरुस्ती करने से इन्कार करने पर बमुकाम बैड़कलां तहसील जैतारण जिला–पाली में पैदा हुआ। जो अन्दर म्याद व अदालत श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में वादपत्र प्रस्तुत है।

इस पर वादीया का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार, जैतारण ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने इकबालिया जवाब दावा में कथन किया कि वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित विवादित आराजी सही होने से स्वीकार है। पद संख्या 2 व 3 के कथन सही होने से स्वीकार है। पद संख्या 4 से 6 के तथ्य कानूनी है जो गौर अदालत बाला है। वादीया की जो इस्तदुआ है सही होने से सत्य है तथा वादीया के पक्ष में डिक्री का आदेश फरमावें।

प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि मौजा बैड़कलां तहसील जैतारण के वर्तमान रेकर्ड अंतिम चौसाला आधार संवत् 2074–77 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) से स्थायी में खसरा नम्बर 44, 52, 53 में वादीया का नाम 1/96 हिस्सा के साथ सह–खातेदार के रूप में दर्ज रेकर्ड है एवं खसरा नम्बर 421/15, 421/16, 548, 550 में भी वादीया का नाम 1/8 हिस्सा के साथ सह–खातेदार के रूप में दर्ज है। जबकि खसरा नम्बर 45, 46, 51, 54 में वर्तमान रेकर्ड अंतिम चौसाला आधार संवत् 2074–77 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) से स्थायी में वादीया खातेदार/

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:31:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सह–खातेदार नहीं है। उक्त खसरा नम्बर खातेदार देवाराम पुत्र तेजीराम जाति सीरवी निवासी उदलियावास के नाम दर्ज रेकर्ड है। वर्तमान चालू राजस्व रेकर्ड की नकलें साथ में संलग्न है। यह सही है कि वादीया के पति विरदाराम की मृत्यु होने पर ना.सं. 968 दर्ज करते वक्त वादीया का नाम भिचली दर्ज किया गया जो आज तक के रेकर्ड में चला आ रहा है। खसरा नम्बर 44, 52, 53, 421/15, 421/16, 548, 550 में वादीया का नाम भिचली दर्ज है। जबकि वादीया के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजों में वादीया का नाम भीकली है। खसरा नम्बर 45, 46, 51, 54, 55 में वादीया वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार/ सह–खातेदार नहीं है। वादीया को भिचली की बजाय भिकली नाम से जाना व पहचाना जाता है। अतः वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीया का नाम भिचली के स्थान पर भिकली दुरस्त किया जाना उचित है।

वकील वादीया ने वाद के समर्थन में वादिया भीकली पत्नी विरदाराम का एवं अन्य गवाह भगाराम पुत्र मुलाराम के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये, जो शा0मि0 है। बहस उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया। वादपत्र के साथ प्रस्तुत ग्राम बैडकलां की जमाबन्दी संवत् 2074–2077 (प्रदर्श–1, प्रदर्श–2, प्रदर्श–3) के खसरा नम्बर 44 रकबा 27 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55 का कुल रकबा 199 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 421/15, 421/6, 548, 550 कुल रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा में 'भिचली पत्नी विरदाराम' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त की प्रति (प्रदर्श–4) में भी 'भीचली पत्नी विरदाराम' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। अतः प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. वादीया भीकली पत्नी विरदाराम के साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 01 के अनुसार वादीया का सही एवं वास्तविक नाम भीकली पत्नी विरदाराम है ना कि भीचली पत्नी विरदाराम। वादीया ने यह कथन किया कि विरदाराम जी का देहान्त होने पर जरिये नामान्तरणकरण संख्या 968 के जरिये मुझ वादीया का सही नाम भीकली की बजाय राजस्व रेकर्ड में भीचली दर्ज कर दिया। वादीया का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम भीकली पत्नी विरदाराम है जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन विभाग का पहचान–पत्र, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड आदि में भी यही दर्ज है। वादीया ने वाद–पत्र में सशपथ यह कथन किये कि वादीया का वास्तविक नाम भीकली पत्नी विरदाराम है जबकि राजस्व रेकर्ड में भीचली पत्नी विरदाराम दर्ज [illegible] वादीया बैंक से अपना साख पत्र नहीं बनवा पा रही है। अन्य शपथकर्ता गवाह भगाराम पुत्र मुलाराम का

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:31:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (शिविर) जैतारण (पाली) राज०

साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 02 प्रस्तुत किया। गवाह भगाराम पुत्र मुलाराम ने सशपथ बताया कि वादीया शपथकर्ता की रिश्ते में सगी काकी है। भगाराम ने अपने शपथ–पत्र P/W 02 में यह सशपथ कथन किये कि ''विरदाराम जी का देहान्त होने पर जरिये नामान्तरणकरण संख्या 968 के तत्कालीन हल्का पटवारी ने वादीया का सही नाम भीकली की बजाय राजस्व रेकर्ड में भीचली दर्ज कर दिया। तत्पश्चात इसी माफिक चौसाला जमाबन्दी में अंकन कर दिया। वादीया का सही नाम भीकली पत्नी विरदाराम है।''

2. प्रदर्श दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रदर्श–5ए (भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र), प्रदर्श–6ए (भामाशाह कार्ड), प्रदर्श–7ए (आधार कार्ड), प्रदर्श–8ए (जन–आधार कार्ड) एवं प्रदर्श–9ए (राजस्थान सरकार परिवार राशन कार्ड) उक्त दस्तावेजो में वादीया का नाम भीकली पत्नी विरदाराम है।

3. जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अवलोकन से स्पष्ट है कि बादग्रस्त आराजी में 'भीचली पत्नी विरदाराम' की प्रविष्टि के सामने भारतीय स्टेट बैंक जैतारण का रहन दर्ज है। अतः इस सम्बन्ध में वादिया ने भारतीय स्टेट बैंक जैतारण द्वारा दिनांक 23.05.2022 को जारी रहन मुक्त का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया।

4. प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण द्वारा जवाब दावा में यह कथन किया गया कि ''सरहद मौजा बैडकलां पटवार हल्का बैडकलां तहसील जैतारण में वर्तमान रेकर्ड अंतिम चौसाला आधार संवत् 2074–77 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) से स्थायी में खसरा नम्बर 44, 52, 53 में वादीया का नाम 1/96 हिस्सा के साथ सह–खातेदार के रूप में दर्ज रेकर्ड है एवं खसरा नम्बर 421/15, 421/16, 548, 550 में भी वादीया का नाम 1/8 हिस्सा के साथ सह–खातेदार के रूप में दर्ज है। जबकि खसरा नम्बर 45, 46, 51, 54, 55 में वर्तमान राजस्व रेकर्ड अंतिम चौसाला आधार संवत् 2074–77 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) से स्थायी में वादीया खातेदार/ सह–खातेदार नहीं है। वादीया के पति विरदाराम की मृत्यु होने पर ना.सं. 968 दर्ज करते वक्त वादीया का नाम भिचली दर्ज किया गया जो आज तक के रेकर्ड में चला आ रहा है। वादीया के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजों में वादीया का नाम भीकली है। अतः वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीया का नाम भिचली के स्थान पर भिकली दुरस्त किया जाना उचित है।''

इस प्रकार तहसीलदार जैतारण के जवाब दावा एवं वादीया के शपथ–पत्र एवं गवाह भगाराम पुत्र मुलाराम का शपथ–पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वाद[illegible]राजी के खसरा नम्बर 421/15, 421/6, 548, 550 कुल [illegible] बिस्वा, खसरा नम्बर 44 रकबा 27–02 बीघा, खसरा नम्[illegible] हैक्टयर किस्म गै.मु.सडा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:31:17 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बर 53 रकबा 0.0081 किस्म गै.मु.बेरा भादवा ग्राम बैड़कलां के भू–अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि 'भिचली पत्नी विरदाराम' के स्थान पर वादीया का दस्तावेजों में दर्ज अनुसार सही एवं वास्तविक नाम 'भीकली पत्नी विरदाराम' है। वादीया द्वारा वादपत्र में वर्णित खसरा नम्बर 45, 46, 51, 54, 55 के लिए भी अनुतोष चाहा गया था। परन्तु तहसीलदार जैतारण के जवाब दावा एवं संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 45, 46, 51, 54, 55 में वादीया खातेदार काश्तकार नहीं है। अतः वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 421/15, 421/6, 548, 550, 44, 53 एवं 52 के भू–अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि 'भिचली पत्नी विरदाराम' के स्थान पर 'भीकली पत्नी विरदाराम' किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीया स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

–:: *आदेश* ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीया अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बैड़कलां पटवार हल्का बैड़कलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैड़कलां तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 421/15, 421/6, 548, 550 कुल रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 44 रकबा 27–02 बीघा, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.1619 हैक्टयर किस्म गै.मु.सडा, खसरा नम्बर 53 रकबा 0.0081 किस्म गै.मु.बेरा भादवा के भू–अभिलेख में अंकित प्रविष्टि ***'भिचली पत्नी विरदाराम'*** को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर वादीया के सही व वास्तविक नाम की प्रविष्टि ***'भीकली पत्नी विरदाराम'*** को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। **अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी**। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 08/09/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:31:17 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 21 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण**

बईजलास :– **श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**

–ः वादीया ः–	बनाम	–ः प्रतिवादीगण ः–
1. भीकली पत्नी विरदाराम जाति–जाट निवासी– बैड़कलां तहसील जैतारण जिला पाली।		1. रामाकिशन पुत्र विरदाराम जाति–जाट, निवासी–बैड़कलां तहसील जैतारण जिला पाली। 2. तहसीलदार जैतारण जिला पाली।

मु0न0 ःरा0वा0स0– 429/2019

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीया मिनजानिब मुद्दई व श्री गोविन्द जाखड़, अधिवक्ता एवं तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बैड़कलां पटवार हल्का बैड़कलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैड़कलां तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 421/15, 421/6, 548, 550 कुल रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 44 रकबा 27–02 बीघा, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.1619 हैक्टयर किस्म गै.मु.सडा, खसरा नम्बर 53 रकबा 0.0081 किस्म गै.मु.बेरा भादवा के भू–अभिलेख में अंकित प्रविष्टि '**भिचली पत्नी विरदाराम**' को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर वादीया के सही व वास्तविक नाम की प्रविष्टि '**भीकली पत्नी विरदाराम**' को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। **अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी।** पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **08/09/2022** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	[illegible]क	0.00
मिजानः–	09.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा वह हो जो फरीकेन को बाद डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:31:17 IST
Reason: SelfAttested